

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू कौम्प.....

क्रमांक: राजस्व / 2021 /


दिनांक : / / 2021

12/10/21
आदेश

आवेदक श्री मोहरपाल पुत्र सुरवेदन ने तहसील कोटखावदा में ग्राम विशालपुरा स्थित आराजी खन रकबा के संबंध में जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 28 पर अंकित प्रविष्टि दुरुस्त कराने हेतु आवेदन पेश किया। पटवारी हल्का द्वारा जाँच की जाकर ग्राम विशालपुरा की जमाबन्दी के खाता संख्या 28 की प्रविष्टि के स्थान पर मोहरपाल पुत्र सुरवेदन किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार कोटखावदा द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के अनुसार जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि दुरुस्त करने की अभिशंभा की है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पटवारी हल्का की. करिमा सुजाना की रिपोर्ट व तहसीलदार कोटखावदा की अभिशंभा के आधार पर प्रार्थी श्री मोहरपाल पुत्र सुरवेदन जाति सुरवेदन निवासी विशालपुरा तहसील कोटखावदा के आवेदन पर जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 28 में अंकित प्रविष्टि मोहरपाल पुत्र सुरवेदन के स्थान पर मोहरपाल पुत्र सुरवेदन


किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)
चाकसू (जयपुर)
दिनांक : 05 / 1 / 2021

क्रमांक: राजस्व / 2021 / 221

प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ प्रेषित है-

1. तहसीलदार कोटखावदा
2. पटवारी हल्का


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)